Sciences, including emergency services, have reportedly gone on an indefinite strike from 8th February, 1999 and no new patients would be admitted during the strike period;

(b) if so, the main demands of the striking faculty members;

(c) whether it is a fact that Government have not implemented the revised recommendations of the Bakshi Committee's Report so far; and

(d) if so, what remedial steps Government have taken so far to redress the grievances of faculty members?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) to (d) The Government after considering all the relevant factors including the recommendations made by K. K. Baksi Committee conveyed approval to the revision of scales of pay and allowances of various faculty posts in All India Institute of Medical Sciences/ PGIMER, Chandigarh vide orders dated 21st January, 1999. The faculty of AIIMS rejected the revision in the pay scales and

allowances and preceeded on indefinite strike from 8th February, 1999. They have demanded total implementation of the recommendations made by the Baksi Committee with the modifications in the pay scale of Additional Professer. The Government have referred the matter to the Group of Ministers. The Group of Minister while consider in that the demands regading the pay scales restructuring from the faculty Association of AIIMS was not practicable in view of the competing claims from other similar institutions,, decided in the meeting held on 22nd February, 1999 that the representatives of the Finance Ministry, Department of Personnel & Training and Ministry of Health would consider the possibility of such further improvement in the pay scales of the faculty of AIIMS/ PGIMER as would avoid competing claims provided the agree to withdraw the strike so that the resolution of the issues can be arrived at in a cordial atmosphere. A Civil Writ has been filed in the High Court of Delhi. The faculty have since called off their strike and resumed duties on 25.2.99. During the strike period alternative arrangements have been made in the O.P.D. of Safdar-jung and Dr. Ram Manohar Lohia Hospitals to meet the additional rush of patients.

आम आदमी को आयातित चिकित्सा उपकरणों का लाभ मिलना

532. **श्री डी. पी. यादव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि राजधानी के अस्पतालों के लिए विदेशों के आयातित चिकित्सा उपकरणों के आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और

(ख) क्या मंत्रालय को इस बात की भी जानकारी है कि ये उपकरण या तो काम नहीं कर रहें हैं या उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) निजी अस्तपतालों /संस्थाओं, नैदानिक केन्द्रों आदि उपस्कर के सामान्य आयात के लिए ऐसी कोई विशेष शर्त लगाना उचित नहीं समझा जाता है जिसमें आम आदमी को लाभ (निःशुल्क उपचार) देना आवाश्यक हो । इन सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में विदेशों से आयात किए गए उपस्करों का इन अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले आम आदमी को सेवाएं प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ।

तथापि, अधिसूचना सं. 64/88-सी यू एस दिनांक 1.3.88 के अंतर्गत निःशुल्क छूट प्राप्त करने वाले अस्पतालों/संस्थाओं को इस अधिसूचना में यथा-निर्धारित निःशुल्क सेवाओं की शर्तों को पूरा करना होगा जब तक कि वे ऐसी छूटों का लाभ उठाती हैं । यदि वे असफल रहती है तो उनको दिया गया सीमा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी पक्रिया के अनुसार कर छूट की राशि की वूसली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी ।

(ख) सरकारी अस्पतालों में उपस्करों का रख-रखाव और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है । जब कोई उपचार खराब हो जाता है तो संबंधित संस्था/अस्पताल द्वारा वार्षिक सेवा संविदा पर मुख्यतःनिर्भर करते हुए यथाशीघ्र संभव समय में मरम्मत कराई जाती है ।

पब्लिक स्कूलों पर सरकार का नियंत्रण

533. **प्रो. रामगोपाल यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का पब्लिक स्कूलों पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण है,

(ख) यदि हां, तो अदालती आदेश की खुली अवहेलना कर जबरन फीस के रूप में मोटी रकम वूसलने के खिलाफ क्या सरकार उच्च न्यायलय के आदेश का पालन करने हेतु तत्काल कोई कदम उठाएगी जिसमें मध्यम एंव सामान्य वर्ग के लोगों को राहत मिल सकें, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) पब्लिक स्कूलों पर नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के शिक्षा अधिनियम में किये गये उपबंधों के अनुसार और उस बोर्ड के संबंधन उपनियमों के अनुसार किया जाता है जिससे स्कूल संबद्ध होते हैं ।

(ख) और (ग) शुल्क इत्यादि लेने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा किये गये आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आता है । केन्द्रीय सरकार को ऐसे कोई निर्देश उच्च न्यायालय से नहीं प्राप्त हुए हैं ।

तकनीकी शिक्षा का विकास

534. **श्री बालकबि बैरागी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में तकनीकी शिक्षा एंव तकनीकी उच्च शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र सरकार को कौन-कौन सी योजनांए प्रेषित की है,

(ख) उनके द्वारा उक्त योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से मांगी गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन से राज्यों की कौन-कौन सी योजनाओं को कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई है, और

(ग) स्वीकृति के लिए विचाराधीन योजनाएं राज्यवार कौन-कौन सी शेष हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) तकनीकी शिक्षा परियोजना 1 तथा 2 के अंतर्गत, भारत में पॉलिटैक्रिक शिक्षा का उन्नयन करने के लिए 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का एक कार्यान्वयनाधीन परियोजना के तहत विश्व बैंक द्वारा निधियां प्रदान की गई है ।

इस परियोजना के तहत पॉलिटैकिक शिक्षा में प्राप्त लाभों के कायम रखने लिए इस मंत्रालय ने तकनीकी शिक्षा परियोजना नामक एक अन्य परियोजना के लिए नई विदेशी सहायता का प्रस्ताव किया है जिसमें लगभग लगभग 10 चुंनिंदा पॉलिटैक्रिकों को उत्कृष्टता के केन्द्रों मे बदलने, कुछ भारतीय पॉलिटैक्रिक संस्थानों की स्थापना करने और कार्यान्वयनाधीन परियोजना के तहत शामिल न किये गये राज्यों को शामिल करने का कार्य निहित है । विभिन्न राज्य सरकारों से मांगी गई निधियों की आवश्यकता के अनुमानों के आधार पर एक समेकित परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक से सहायता की मांग करने के लिए तैयार कर लिया गया है ।

Drop out Rate

535. DR. (Ms.) P. SELVIE DAS: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) how many children in the age groups 6—10 and 11—13 years, were out of school in the Eighth Five Year Plan period State-wise and sex-wise; and

(b) the number of children dropped out by the age of 10 years, sex-wise and state-wise?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI):